न्यायालय सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग – पाली, जिला – कोरबा (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सीमा पात्रे)

रा.प्र.क्र.05 / अ–62 / 2024–25
202505053200003
ग्राम–पाली, प.ह.नं.20
रा.नि.मं.–पाली, तह.–पाली
जिला – कोरबा (छ.ग.)

श्रीमती सविता चौबे पति श्री मदन चौबे, जाति ब्राह्मण
निवासी ग्राम पाली, तहसील पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.)...**आवेदिका**

<u>बनाम्</u>

छ.ग.शासन...**अनावेदक**

–:: आदेश ::–

पारित दिनांकः– 14 / 05 / 2025

आवेदिका श्रीमती सविता चौबे पति श्री मदन चौबे निवासी ग्राम पाली, तहसील पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) द्वारा ग्राम पाली, प.ह.नं.20, रा.नि.मं.पाली, तहसील पाली जिला कोरबा (छ.ग.) स्थित अपनी भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 90/7 रकबा 0.036 पर स्थित 03 नग वृक्षों में से 01 नग सूख गये सागौन के वृक्ष को अपने स्वयं के उपयोग हेतु कटाई किए जाने की अनुमति बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफ 4–34/सात–1/ 2021 दिनांक 11 फरवरी 2022 अनुसार वृक्ष कटाई हेतु "वृक्ष कटाई के नियम 2022" प्रभावशील किए गए हैं तथा उक्त नियम अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) को वृक्ष कटाई की अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। अतः प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज कर, आवेदन के संबंध में हल्का पटवारी एवं वनपाल पाली से निर्धारित प्रारूप में संयुक्त जॉच प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा प्राप्त किया गया। संयुक्त दल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि:–

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख (बी–1/खसरा) के अनुसारः–

(क) आवेदित खाते पर कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की प्रजाति <u>सागौन</u> है एवं तथा वृक्षों की <u>संख्या 30 नग</u> है।

(ख) पूर्व में आवेदित खाते पर रोपित वृक्षों को काटने की अनुशंसा <u>नहीं</u> की गई है।

संयुक्त स्थल निरीक्षण अनुसारः–

(क) आवेदित वृक्षों में से शुष्क वृक्षों की प्रजाति <u>सागौन</u> एवं संख्या <u>01</u> है।

(ख) आवेदित वृक्षों में से परिपक्व वृक्षों की की प्रजाति <u>सागौन</u> एवं संख्या <u>01</u> है।

(ग) आवेदित वृक्षों में से कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति <u>सागौन</u> एवं संख्या <u>01</u> है।

(घ) नियम 2 की कण्डिका, लागू नहीं होती है।

(ड.) वृक्ष की गोलाई 170 से.मी., ऊँचाई 25 मी,. है उक्त वृक्ष ईमारती है एवं सूखा हुआ है।

क्रमशः........02

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)

ऑनलाईन कम्प्यूटर अभिलेख के अवलोकन में पाया कि, ग्राम पाली, प.ह.नं.20, रा.नि.मं.पाली, तहसील पाली जिला कोरबा (छ.ग.) स्थित आवेदित भूमि खसरा नंबर 90/7 रकबा 0.036 हे. आवेदिका श्रीमती सविता चौबे पति श्री मदन चौबे निवासी ग्राम पाली, तहसील पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि के कैफियत में 03 नग सागौन वृक्षों की प्रविष्टि भी आवेदिका के खाते में दर्ज है।

<u>वृक्ष कटाई के नियम 2022 की कण्डिका 8 में बने प्रावधान अनुसारः–</u>

(1) छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र.9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए, भूमि स्वामी अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई राजस्व अभिलेखों में पंजीयन के आधार पर करवा सकेगा। कटाई से एक माह पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी को कटाई का कारण, प्रजाति एवं संख्या स्पष्ट उल्लेखित करते हुए सूचना प्ररूप "च" में देना आवश्यक होगा। सूचना के साथ पंजीयन संबंधी राजस्व अभिलेख एवं स्वघोषणा– पत्र प्ररूप "छ" में देना होगा। भूमि स्वामी द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं स्व–घोषणा का दस्तावेजी एवं भौतिक सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वृक्ष कटाई के पूर्व पटवारी एवं वनपाल के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

(2) भूमि स्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किए जाने पर उसके खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर, वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमि स्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना अधिक संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षा रोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएँगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

चूँकि हल्का पटवारी, प.ह.नं.20 एवं वनपाल पाली द्वारा स्थल एवं अभिलेखों का मिलान कर पुष्टि की गई है कि आवेदित वृक्ष आवेदिका के स्वामित्व की भूमि पर आवेदिका द्वारा रोपित वृक्ष है, आवेदिका को छ.ग.भू.रा.सं.1959 की धारा 240 के नियम 8 में बने प्रावधान अनुसार आवेदित 01 नग वृक्ष को काटे जाने की अनुमति इस शर्त पर प्रदाय की जाती है कि, आवेदिका वृक्ष कटाई से संबंधित प्रचलित विधिक प्रावधान/नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिये कटिबद्ध रहेंगे। कभी भी विधिक प्रावधान/ नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो आदेश शून्य माना जायेगा।

एतद् अनुसार आदेश आज दिनांक 14 / 05 /2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से पारित एवं घोषित।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.) सत्यमेव जयते

सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग– पाली, जिला –कोरबा (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक / 743 / अ.वि.अ.(रा.) / वा.01 / 2025 पाली, दिनांक 15/05/2025

प्रतिलिपि :–

1. अनुविभागीय अधिकारी (वन) पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई के नियम, 2022 के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।
2. तहसीलदार पाली, जिला–कोरबा (छ.ग.) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. आवेदिका की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित्।

सक्षम प्राधिकारी (वृक्ष कटाई) एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
अनुविभाग– पाली, जिला –कोरबा (छ.ग.)

समाप्त्।